रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 1996/भाद्र 20, 1918
No. 143] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 1996/BHADRA 20, 1918

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 216(अ).—यत: कर्नाटक राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य, श्रीमती लीलादेवी रेणुका प्रसाद, के पद त्याग देने के कारण, जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2002 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक थी, उक्त सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है ।

अत: अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग कर्नाटक राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुरूप एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(1)]
आदेश से,
अर्चना अरोड़ा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 216(E).—Whereas, a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Smt. Leeladevi Renuka Prasad, an elected member of that House from the State of Karnataka whose term of office was upto and including 2nd April, 2002;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Karnataka to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/CS-KT/1/96 (1)]
By order,
ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 217 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(1) तारीख 11 सितम्बर, 1996 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क)	नामनिर्देश करने की अन्तिम तारीख	18-09-1996 (बुधवार).
(ख)	नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	19-09-1996 (वीरवार).
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	21-09-1996 (शनिवार).
(घ)	वह तारीख, जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	28-09-1996 (शनिवार).
(ङ)	वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा	01-10-1996 (मंगलवार).

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(2)]

आदेश से,

अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 217(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-KT/1/96(1) dated 11th September, 1996 :—

(a) the 18th September, 1996 (Wednesday), as the last date for making nominations ;
(b) the 19th September, 1996 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations ;
(c) the 21st September, 1996 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
(d) the 28th September, 1996 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken ; and
(e) the 1st October, 1996 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-KT/1/96 (2)]

By order,

ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 218(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(1) तारीख 11 सितम्बर, 1996, के अनुसरण में राज्य सभा से होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(3)]

आदेश से,

अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 218(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 2.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-KT/1/96(1) dated the 11th September, 1996.

[No. 100/CS-KT/1/96 (3)]

By order,

ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 219 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, कर्नाटक राज्य के परामर्श से तारीख 11 सितम्बर, 1996 की अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा.स.-कर्नाटक/1/96(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचनों के लिए सचिव, कर्नाटक विधान मंडल, विधान सौधा, बंगलौर को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामित करता है ।

[संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(4)]

आदेश से,

अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 219(E).—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, in consultation with the Government of Karnataka, hereby nominates Secretary, Karnataka Legislature, Vidhana Soudha, Bangalore to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-KT/1/96(1) dated 11th September, 1996.

[No. 100/CS-KT/1/96(4)]

By order,

ARCHNA ARORA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

आ. अ. 220(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, तारीख 11 सितम्बर, 1996 की अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(1) के अनुसरण में होने वाले राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए, रिटर्निंग आफिसर को, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए कर्नाटक विधान मंडल के संयुक्त सचिव को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[संख्या 100/रा. स.-कर्नाटक/1/96(5)]

आदेश से,

अर्चना अरोड़ा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1996

O.N. 220(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, hereby appoints Joint Secretary, Karnataka Legislature, Vidhana Soudha, Bangalore as Assistant Returning Officer, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-KT/1/96(1) dated 11th September, 1996 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-KT/1/96(5)]

By order,

ARCHNA ARORA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996